

राजस्थान सरकार

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर ।

क्रमांक लेखा - वेतन स्थिरीकरण/निकाशि/11-12/ दिनांक - 20-5-11

9-149

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय/राजकीय विधि महाविद्यालय/
राजकीय कन्या महाविद्यालय

विषय :- महाविद्यालय में पदस्थापित व्याख्याताओं पी.टी.आई. एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के छठें वेतनमान में वेतनस्थिरिकरण के सम्बन्ध में ।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सरकार वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.10.2009 के अनुसरण में व्याख्याताओं, पी.टी.आई. एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के छठे वेतनमान में वेतन स्थिरिकरण किये जाने हैं । अतः आपके महाविद्यालय में पदस्थापित व्याख्याताओं एवं अन्य कार्मिकों के दिनांक 1.1.2006 के वेतनस्थिरिकरण के सम्बन्ध में बकाया प्रकरणों की वर्तमान वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु निम्न प्रपत्र में सूचना संलग्न कर अविलम्ब प्रेषित करावें :-

क्र.सं.	नाम	बकाया प्रकरण के कारण सहित विवरण

महाविद्यालय में शेष रहे वेतन स्थिरिकरण के प्रकरण समस्त वांछित पूर्तियां कर सात दिवस में निदेशालय को प्रेषित करावें ।

भवदीय


मुख्य लेखाधिकारी

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

9-149


क्रमांक लेखा - वेतन स्थिरीकरण/निकाशि/11-12/ दिनांक - 20-5-11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निजी सचिव, निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
3. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय ।

प्र. संयुक्त निदेशक आपोपता को निम्नानुसार वेतन
संशोधन पर उपलब्ध कराते हेतु।

विधान सभा प्रश्न संख्या 5915
(स-4 नं. 1)


मुख्य लेखाधिकारी

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर